

कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर (राज.)

क्रमांक: 250

दिनांक-24-02-2025

कार्यालय आदेश

मैं, विकास कुमार स्वामी, आर.जे.एस., मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2025 के माह मार्च 2025 में दिनांक 31.03.2025 तक आने वाले राजकीय अवकाशों हेतु सीकर न्यायक्षेत्र के लिए आवश्यक फौजदारी कार्य रिमाण्ड, जमानत व अन्य आवश्यक कार्य/मृत्युकालिक कथन/196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (176 दण्ड प्रक्रिया संहिता) की कार्यवाही हेतु रिमाण्ड ड्यूटी के लिए निम्नलिखित तारीखों को उनके सामने अंकित मजिस्ट्रेट्स को अधिकृत करता हूँ:-

क्र.सं.	अवकाश की दिनांक	न्यायिक अधिकारी सर्व श्री/ श्रीमती /सुश्री	न्यायालय का नाम
1	2	3	4
1.	02.03.2025	श्री डेनिश विश्रोई	न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमाधोपुर
2.	08.03.2025 & 09.03.2025 & 10.03.2025	शिखा शर्मा	अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, सीकर
3.	13.03.2025 & 14.03.2025	श्री दिलीप कुमार मीणा	अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-02, सीकर
4.	16.03.2025	श्री रमेश कुमार कराड़िया	न्यायिक मजिस्ट्रेट, धोद
5.	22.03.2025 & 23.03.2025	श्री हिमांशु कुमावत	न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर
6.	30.03.2025 & 31.03.2025	अंशुल शर्मा	न्यायिक मजिस्ट्रेट, लक्ष्मणगढ़

- उक्त राजपत्रित अवकाशों के अलावा अन्य कोई राजकीय अवकाश /स्थानीय अवकाश घोषित हो जाने पर उक्त घोषित अवकाश से पूर्व के राजकीय अवकाश के दिन जिस अधिकारी द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की गई है, उसी अधिकारी द्वारा उक्त घोषित राजकीय अवकाश के दिन रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य सम्पादित किया जावेगा तथा उक्त अवधि में राज्य अथवा राज्य के बाहर से सीकर पधारने वाले माननीय न्यायाधिपतिगण के सीकर प्रवास पर उनके आगमन, प्रवास एवं प्रस्थान के दौरान उनके पद एवं गरिमा के अनुरूप एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 06/पी.आई./ 2008 दिनांक 29.07.2008 के निर्देशानुसार प्रोटोकॉल ड्यूटी उक्त अधिकारीगण करेंगे।
- यदि संबंधित मजिस्ट्रेट अथवा संबंधित लिंक मजिस्ट्रेट उपलब्ध हो तो उनसे भी बेल, रिमाण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए आदेश प्राप्त किया जा सकता है।
- अवकाश के दौरान प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट, रिमाण्ड कागजात एवं अन्य प्राप्त दस्तावेजात आवश्यक रूप से अविलम्ब संबंधित न्यायालय को प्रेषित करें।
- सुविधा की दृष्टि से उक्त पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य हेतु दिनांक 01.03.2025 से 31.03.2025 तक के अवकाशों में विशेष रूप से 1.00 पी.एम. से 3.00 पी.एम. तक अपने न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।
- तारांकित अवकाश के दिन जिस न्यायिक अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी लगाई गई है वही न्यायिक अधिकारी तारांकित अवकाश के परिवर्तित होने पर रिमाण्ड ड्यूटी करेगा।



(विकास कुमार स्वामी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीकर (राज.)
सीकर (राज.)

क्रमांक- 251-258

दिनांक-24-02-2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

- 1- माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, सीकर
- 2- अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम 01 व 02, सीकर, रींगस, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ, दांतारामगढ, क्रम संख्या-01 व 02 नीमकाथाना, क्रम संख्या-01 व 02 श्रीमाधोपुर
- 3- न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर/ क्रम 1, 2 व 3, सीकर/ विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एन.आई. एक्ट प्रकरण, सीकर/न्यायिक मजिस्ट्रेट नीमकाथाना, लक्ष्मणगढ, खण्डेला, फतेहपुर, श्रीमाधोपुर, धोद, अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमकाथाना व श्रीमाधोपुर
- 4- श्रीमान पुलिस अधीक्षक सीकर समस्त थानाधिकारी को सूचित करने बाबत
- 5- प्रभारी अधिकारी वायरलेस शाखा, सीकर
- 6- अध्यक्ष, बार संघ, सीकर
- 7- जिला आबकारी अधिकारी, सीकर समस्त आबकारी थानों को सूचित करने बाबत
- 8- सिस्टम ऑफिसर, न्यायालय की वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।



(विकास कुमार स्वामी)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीकर (राज.)